


**CANCELLED**

227

समक्ष न्यायालय-श्रीगान राजस्व मंडल म० प्र० , गवालियर-कप, जबलपुर



अपील क्रमांक: 823-II/2010

श्रीमति मधुला उक्ते पत्नी स्व०

विनायक राव उक्ते उम्र 38 वर्ष

निवासी-ग्राम-ठिकारिया तहो निवास

जिला-मंडल तांगोपाठी : अपीलार्थी

चिल्ह

१। मधुमेश शासन

२। सोश फिला सुख गौड़ चिरंगतौ

निवासी-ग्राम-ठिकारिया तहसील -

निवास जिला-मंडल तांगोपाठी : प्रत्यर्थीगण

अपील अंतर्गत धारा-44 व म० प्र० भ० रा० संहिता 1959

अपीलार्थी अतिरिक्त कमिशनर, जबलपुरद्वारा प्रकरण क्रमांक-  
368-श-39/01-02 में पारित आदेशक्रियांक 5/2/10 चिरंगते द्वारा  
अपीलार्थी की क्लेक्टर मंडल धारा प्रकरण क्रमांक- 186/श-39/99-2000  
में पारित आदेशक्रियांक 9/5/02 के चिरंगत प्रस्तुत अपील निरस्त की गई है  
सो परिवेदित होकर अपीलार्थी नीचे दर्शयि अनुसार यह अपील प्रस्तुत  
करती है:-

अपील के तथ्य

1- यह कि ग्राम-ठिकारिया प०ट०-२७ तहसील-निवास जिला-  
मंडल के अंतर्गत धूमि खसरा न०-२,३ क्रमांक रु.ब T ०.१२ , ०.३३ हेठो  
भूमि सुख वल्द झाली गौड़के नाम परभूमिस्वामी छक में अंकित रही है  
भूमि खसरा न०-२ में से रु.ब T ०.०७ हेठो स्वखसरा न०-३ , रु.ब T ०.३३  
हेठो कुल भूमि ०.४० हेठो भूमि जीर्येनामा दिनांक ८/१०/९३ के आधार  
पर अपीलार्थी क्रेता द्वारा विधिवत क्रय की गयी क्रेता, विक्रेता दोनों ही  
गौड़ जाति के अंतर्गत अनुशूचित जाति जाति के सदस्य है। क्रय उपरात धूमि ७  
क्रेता/अपीलार्थी मनोज आत्मज विनायक उक्तेले नाम राजस्व अभियोग में  
दर्ज हुई एवं उक्त भूमि का व्यासायिक प्रयोगन हेतु व्यवहरण की जाता

R  
R

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. A.Q.23-II) 10 ..... जिला ... गुरुगढ़ ...

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१५.११.१६.	<p>आखेयक को प्रयत्न नहाई गए</p> <p>प. लो आखेयक लोट छोड़ प्रयत्न ओठों में छोटे से रुक्ख प्रयत्न देख जब तक विहंगा पेड़ी पर आखेयक को लगाया दाढ़ी जल्दी तो नहीं हो</p> <p>मी पर ०.१</p> <p>आखेयक को प्रयत्न आदेश देता प्रयत्न लगाया जाता है। आखेयक प्रयत्न प्रयत्न प्रयत्न प्रयत्न प्रयत्न</p>	